Regd. No. CHD/0093/2012–2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2014
(PHALGUNA 7, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 26th February, 2014

No. 13—HLA of 2014/13.—Indira Gandhi University, Meerpur, (Amendment) Bill, 2014, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 13—HLA of 2014

INDIRA GANDHI UNIVERSITY, MEERPUR (AMENDMENT) BILL, 2014

A

BILL

further to amend Indira Gandhi University, Meerpur, Act, 2013.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called Indira Gandhi University, Meerpur, (Amendment) Act, 2014. Short title.

2. After section 35 of Indira Gandhi University, Meerpur, Act, 2013, the following sections shall be inserted, namely :— Insertion of sections 35A and 35B in Haryana Act 29 of 2013.

"35A Mode of proof of University record.— Notwithstanding anything to the countrary contained in the Indian Evidence Act, 1872

(1 of 1872), or in any other law for the time being in force, a copy of any receipt, application, notice, order, proceedings, resolution of any authority or committee of the University, or other documents in possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as evidence of such receipt, application, notice, order, proceedings, resolution, document or the existence of any entry in a register and shall be admissible as evidence of the matters and transactions therein, where the original thereof, if produced, would have been admissible in evidence.

35B Vesting of properties.– (1) All properties, movable and immovable and all interests therein, of whatsoever nature and kind vested in the Maharishi Dayanand University, Rohtak relating to Indira Gandhi Post-Graduate Regional Centre, Meerpur and the posts created and filled before the commencement of this Act, shall vest in the University.

(2) All debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done in respect of Maharishi Dayanand University, Rohtak relating to Indira Gandhi Post-Graduate Regional Centre, Meerpur, shall be deemed to have been incurred, entered into, or engaged to be done by, with or for the University.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Since there has already been a well established Post-Graduate Regional Centre of MDU, Rohtak functioning at Meerpur with all the requirement of adequate land, building, staff, budget provision and sufficient number of Post-Graduate courses, the State Government upgraded this Regional Centre as Indira Gandhi University, Meerpur by enacting the Indira Gandhi University, Meerpur, Act, 2013.

However in the principal Act, the provisions namely Mode of proof of University record and Vesting of Properties could not be included. The proposed provisions are necessary for the smooth functioning of the University.

Hence, this Bill.

GEETA BHUKKAL,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 26th February, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 13 - एच० एल० ए०

इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (संशोधन) विधेयक, 2014

इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर अधिनियम, 2013, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकता है।

2013 का हरियाणा अधिनियम 29 में धारा 35क तथा 35ख का रखा जाना।

2. इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर अधिनियम, 2013 की धारा 35 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"35क विश्वविद्यालय अभिलेख के प्रमाण का ढंग.—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में, या तत्समय लागू किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, नोटिस आदेश, कार्यवाहियों, प्रस्ताव या विश्वविद्यालय के कब्जे में अन्य दस्तावेजों या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित है, तो ऐसी रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाहियां, प्रस्ताव, दस्तावेज या रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की विद्यमानता साक्ष्य के रूप मे प्राप्त की जाएगी और उसमें मामले तथा संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हों, जहां उनके मूल, यदि प्रस्तुत किए जाते हैं, तो साक्ष्य में स्वीकार किए जाने चाहिएं।

35ख सम्पत्तियों का निहित होना.— (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व इन्दिरा गांधी स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, मीरपुर से सम्बन्धित महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक में निहित सभी सम्पत्तियां, चल और अचल तथा उसमें सभी हित चाहे किसी भी स्वरूप या किस्म के हों और सृजित किए गए तथा भरे गए पद विश्वविद्यालय मे निहित होंगे।

(2) इन्दिरा गांधी स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, मीरपुर से सम्बन्धित महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के सम्बन्ध में उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं तथा दायित्वों, की गई सभी संविदाएं तथा किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले और बातें विश्वविद्यालय से या के लिए उपगत की गई, संविदा की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध मामले और बातें समझी जाएंगी।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

क्योंकि मीरपुर में एम०डी०यू० रोहतक का पहले से ही अच्छी तरह स्थापित स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र चल रहा था, जोकि पर्याप्त भूमि, भवन, स्टाफ, बजट प्रावधान तथा पर्याप्त मात्रा में स्नातकोत्तर कोर्सिस की मांग को पूरा कर रहा था। राज्य सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, अधिनियम, 2013 के तहत इस स्नातकोत्तर केन्द्र को इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर के रूप में अपग्रेड कर दिया गया।

चूंकि, इसके मुख्य अधिनियम में विश्वविद्यालय अभिलेख के प्रमाण का ढंग तथा सम्पत्तियो के निहित होने का प्रावधान शामिल नहीं किया जा सका था। विश्वविद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रस्तावित प्रावधानों का होना आवश्यक है।

अत: बिल प्रस्तुत है।

गीता भुक्कल,
शिक्षा मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 26 फरवरी, 2014.

सुमित कुमार,
सचिव।

52075—H.V.S.—H.G.P. Chd.